



**समझौता ज्ञापन**  
**Memorandum of Understanding**  
**2021-22**

**राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड**  
Rashtriya Ispat Nigam Limited  
&  
**इस्पात मंत्रालय**  
Ministry of Steel



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (स्टैंडएलोन) - समझौता ज़ापन

| क्र सं. | मापदंड का नाम  | इकाई               | भारिता | प्राक्कलन<br>(2020-21 के<br>लिए) | परंपरागत<br>निष्पादन में<br>उत्कृष्ट | लक्ष्य<br>2021-<br>22 |
|---------|--|--------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1       | प्रचालन से राजस्व  | रु. करोड़          | 5      | 18081                            | 20492                                | 23888                 |
| 2       | परिसंपत्ति कारोबार का अनुपात                                       | %                  | 5      | 56.01                            | 59.2                                 | 59.20                 |
| 3       | राजस्व के प्रतिशत के रूप में ई<br>बी ई टी डी ए                     | %                  | 10     | 6.1                              | 7.57                                 | 12.79                 |
| 4       | नियोजित पूँजी पर वापसी   | %                  | 5      | 1.62                             | 4.47                                 | 6.65                  |
| 5       | प्रचालन से राजस्व के दिनों की<br>संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य | दिनों की<br>संख्या | 5      | 18                               | 14                                   | 14                    |
| 6       | इस्पात का उत्पादन  | एम टन              | 20     | 4.16                             | 5                                    | 5.5                   |
| 7       | कुल व्यय से कुल आय   | %                  | 10     |                                  |                                      | 100                   |
| 8       | प्रति शेयर से अर्जन  | रु.                | 15     |                                  |                                      | 0                     |
| 9       | केपेक्स  | रु. करोड़          | 10     |                                  |                                      | 595                   |
| 10      | तृतीय तिमाही की समाप्ति तक<br>केपेक्स की उपलब्धि                   | रु. करोड़          | 5      |                                  |                                      | 534                   |
| 11      | पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात<br>में वृद्धि                      | %                  | 10     |                                  |                                      | 18.44                 |
|         |  | कुल                | 100    |                                  |                                      |                       |

टिप्पणी :

- ये लक्ष्य वित्त वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित हैं।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित ध्येयपथ पर भी विचार किया गया।
- केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के केपेक्स लक्ष्य - संघ सरकार के बजट कागजात के अनुसार (विवरण 26)
- गैर-सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए ई पी एस। घाटे में चलनेवाले उद्यमों के लिए सकारात्मक ई पी एस प्राप्त करने का लक्ष्य
- 50%-100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समानुपातिक अंक - "तीसरी तिमाही तक केपेक्स की उपलब्धि", "कुल व्यय से कुल आय" और "घाटे में चलनेवाले केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए ई पी एस" से संबंधित मापदंडों को छोड़कर सभी पर लागू
- 50.00% लक्ष्य से कम उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं हैं - "कुल व्यय से कुल आय" और "घाटे में चलनेवाले केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए ई पी एस" से संबंधित मापदंडों को छोड़कर सभी पर लागू



वर्ष 2021-22 के लिए अनुपालन संबंधी मापदंड

| क्र सं | मापदंड   | अंक | स्रोत/जाँच  |
|--------|--|-----|---|
| 1      | जी ई एम पोर्टल से कुल प्रापण का 25% :<br>(जी ई एम के अनुसार वर्ष के दौरान जी ई एम पोर्टल के माध्यम से प्रापण की गयी सामग्री और सेवाएँ)/(संबंध पोर्टल के अनुसार विगत वर्ष के दौरान प्रापण की गयी कुल सामग्री और सेवाएँ)*100   | -2  | जी ई एम पोर्टल और संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                        |
| 2      | चयनित मामलों के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश वेतन संशोधन के लिए वेतन संशोधन दिशानिर्देश और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम की लाभदायिकता की समीक्षा<br>व्यय प्रबंधन मितव्ययिता उपाय और व्यय का युक्ति संगतिकरण सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) से संबंधित दिशानिर्देश iv) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देश v) केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व व्यय के संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देश | -2  | सी ए जी रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                                   |
| 3      | निगमित अभिशासन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन (या सूचीबद्ध निकायों के मामले में सेबी (एल ओ डी आर) विनियम) जैसे :<br>निदेशक मंडल का संयोजन<br>मंडल समितियाँ (लेखापरीक्षा समिति आदि)<br>मंडल की बैठकों का आयोजन<br>संबंधित पार्टी के लेनदेन<br>प्रकटन और पारदर्शिता   | -3  | सी ए जी /रिपोर्ट/ सांविधिक/सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय |
| 4      | दीपम/नीति आयोग द्वारा दिये गये लक्ष्य :<br>लाभांश का भुगतान<br>परिसंपत्तियाँ मुद्रीकरण माइलस्टोन<br>विनिर्दिष्ट विनिवेश माइलस्टोन  | -2  | दीपम/नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                              |
| 5      | अतिसूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को प्रापण और समय पर भुगतान (वर्ष के दौरान संबंध पोर्टल के अनुसार)/(संबंध पोर्टल के अनुसार सामग्री और सेवाओं के कुल प्रापण) के अनुसार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एम एस ई के 4% और महिला एम एस ई के 3% को मिलाकर) एम एस ई के माध्यम से 25% माल या सेवाओं का प्रापण)  | -2  | संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय  |
| 6      | केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में मानव संसाधन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुधार के लिए लिये गये उपाय और पहल (लक्ष्य : विगत वर्ष की तुलना में घायल होने के कारण कार्यदिनों में 10% कटौती)   | -1  | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि  |

अतुल मट्टे

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  
तारीख -

प्रदीप त्रिपाठी

सचिव  
इस्पात मंत्रालय  
तारीख -

